N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0244 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/09/2025 19:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 16/09/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:05 बजे **Time To (समय तक):** 13:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/09/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/09/2025 19:47:33 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 535 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** NIKITA HOTAL GAMADA, BRAHNIYA JILA DUNGARPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VELJI PATIDAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BADARJI PATIDAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAMADA BRAHMNIYA, POILCE THANA OBARI, OBRI, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAMADA BRAHMNIYA, POILCE THANA OBARI, OBRI, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HEMANT BUNKAR		पिता:KURIYAJI BUNKAR	1. GOAN AMBADA,OBRI,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदयजी, वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2025 को समय 01.05. पी.एम पर परिवादी श्री वेलजी पिता बादरजी पाटीदार उम्र 50 वर्ष पेशा काश्त निवासी गामडा ब्राह्मणिया पुलिस थाना ओबरी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ने उपस्थित चोकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की "सादर निवेदन है कि मैं प्रार्थी वेलजी पिता बादरजी पाटीदार उम्र 50 वर्ष पेशा काश्त निवासी गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा थाना ओबरी जिला डूंगरपुर का रहने वाला हुं मेरे गांव गामडा ब्राह्मणिया मे मेरी पैतृक जमीन खसरा न. 2760 पटवार हल्का गामडा ब्राह्मणिया मे स्थित है उक्त जमीन मे मेरी बहन रमिला का राजस्व रिकोर्ड मे संयुक्त नाम है। मेरी बहन रमिला का संयुक्त रिकोर्ड से नाम निकाल कर मेरे व मेरी माँ लिली के नाम नामान्तरण खोलने हेतु कई बार मे श्री हेमन्त बुनकर पटवारी साहब से मिला लेकिन मेरा काम नही हुआ। करीब पन्द्रह दिन पहले मै श्री हेमन्त जी पटवारी साहब से पटवार भवन में जाकर मिला और मेरे काम के बारे मे जिक्र किया तो श्री हेमन्त पटवारी साहब ने बताया की आपके बहन के हक त्यागकर आपके नाम नामान्तरण खोलने के बदले में 10000 रूपये में लुंगा जब पैसे हो तब लेकर आ जाना आपका काम में कर दुंगा। आज दिनांक 27.08.2025 को सुबह 11.26 बजे मेरे मोबाईल नम्बर पर श्री हेमन्त जी पटवारी के मोबाईल नम्बर से फोन आया और मुझे कहा की मै यही विजवा माता मन्दिर के पास ही हुं आप मेरे सामने से निकले है और आप से जो बात हुई है वो कर दो आपका काम हो जायेगा, तो मेने कहा डूंगरपुर जाकर वापिस आकर करता हुं इस प्रकार श्री हेमन्त जी पटवारी से मुझ से 10000 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है मै, हेमन्त पटवारी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्री हेमन्त पटवारी से पुरानी कोई लेन-देन बाकी नही है, न ही कोई पुरानी दुश्मनी है, रिपोर्ट पर कार्यवाही करावे।" मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वंय का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिता जी श्री बादरजी पाटीदार की मृत्यु हो चुकी है। मेरी पैतृक जमीन खसरा न. 2760 पटवार हल्का गामडा ब्राह्मणिया मे स्थित है उक्त जमीन मे मेरी बहन का हक त्याग करवाकर मेरे नाम नामान्तरण खोलने हेतु कई बार मे श्री हेमन्त बुनकर पटवारी साहब से मिला लेकिन मेरा कार्य नही किया है मेरी बहन का हक त्याग करने के लिए श्री हेमन्त जी पटवारी से मुझ से 10000 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं मेरी श्री हेमन्त जी पटवारी से पुरानी कोई लेनदेन बाकी नही है ना ही पुरानी कोई दुश्मनी है। जिस पर कार्यालय के कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार व कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी व कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड SANDISK 4GB निकाल कर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी, पटवार हल्का गामडा ब्राह्मणिया से अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर श्री हेमन्त बुनकर पटवारी, से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 व परिवादी मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के परिवादी की निजी कार से समय करीब 01.40 पी.एम पर पटवार हल्का गामडा ब्राह्मणिया की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.05 पी. एम पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा मोबाईल पर कॉल कर मुझे बताया की मेने श्री महेशचन्द्र कानि. को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर देकर यहा से डूंगरपुर के लिए रवाना कर दिया है। आप द्वारा मुझे आरोपी श्री हेमन्त पटवारी को रिश्वत मे दी जाने वाले रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 28.08.2025 को समय करीब 08.30 ए.एम पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन मेरे सामाजिक कार्यक्रम होने से में कल दिनांक

28.08.2025 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित नही हो सकता हुं। मै दिनांक 01.09.2025 को रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेकर आ जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। समय करीब 05.45 पी.एम पर श्री महेशचन्द्र कानि. न. 394 मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया व श्री महेश चन्द्र कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मै श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो समय 02.40 पीएम पर गामडा ब्राह्मणिया मोड के पास पहूँच संद्गिग्ध श्री हेमन्त पटवारी की लोकेशन का पता करने हेतु परिवादी को कहा जिस पर परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर मे संद्गिग्ध श्री हेमन्त पटवारी के मोबाईल नम्बर पर मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर समय करीब 02.43 पी.एम पर कॉल करवाया तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर पास रखा तो संद्गिग्ध ने कहा की मै होटल पर नाश्ता करने आया था, निकिता होटल पर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। जिस पर समय करीब 02.50 पी.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को सुपुर्द कर संद्गिग्ध श्री हेमन्त पटवारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु होटल निकीता के लिए रवाना किया तथा मै आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 03.09 पीएम पर परिवादी मेरे पास आकर मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो चुका है। जिस पर समय करीब 03.16 पी.एम पर मन् कानि. द्वारा परिवादी के मोबाईल मे कॉल कर हालात श्रीमान को अर्ज किये व परिवादी से श्रीमान की वार्ता करवाई थी। श्रीमान के निर्देशानुसार मन् कानि. डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा परिवादी श्री वेलजी पाटीदार व संद्गिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थिति सुरक्षित मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखा। दिनांक 01.09.2025 समय 10.41 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को मोबाईल पर कॉल किया व परिवादी श्री वेलजी पाटीदार से कार्यालय पर उपस्थित नही होने के बारे मे पूछा तो परिवादी ने बताया की मेरे आसपुर मे ट्रेक्टर की एजेन्सी है। आज कम्पनी से ट्रक ट्रेक्टर लेकर आया है। इसलिए मै आज नही आ सकता हुं। कल आउंगा जिस पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को दिनांक 02.09.2025 को समय 9.30 ए.एम पर मय रिश्वत राशि 10,000 रूपये के ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। दिनांक 02.09.2025 समय 12.13 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को मोबाईल पर कॉल किया व परिवादी श्री वेलजी पाटीदार से कार्यालय पर उपस्थित नही होने के बारे मे पूछा तो परिवादी ने बताया की आज सरकारी कार्यालय में अवकाश है मै पटवारी श्री हेमन्त बुनकर जी को पूछकर बताता हुं की आज मिलेंगे या नही। तत्पश्चात समय करीब 12.22 पी.एम पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को कॉल कर बताया की मैने पटवारी श्री हेमन्त बुनकर को कॉल कर मिलने के लिए बात की लेकिन उनके द्वारा आज अवकाश होने से नही आना व कल मिलने हेतु कहा है। जिस पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 03.09.2025 को समय 8.00 ए.एम पर मय रिश्वत राशि 10000 रूपये के ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 05.03 पी.एम पर ट्रैप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान सयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर दिनांक 03.09.2025 को समय 08.00 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1236 दिनांक 02.09.2025 से तेहरीर जारी कर राजपत्रित अवकाश होने से श्री दिनेश बामणिया संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग डूंगरपुर के मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर तेहरीर वाटसअप की गई। समय करीब 07.21 पी.एम पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल करके बताया कि पटवारी श्री हेमन्त बुनकर ने फोन कर मुझे बताया कि मेरी माताजी बीमार है, मैं उनके ईलाज के लिये मोडासा गुजरात जाऊँगा , कल मैं आपको नही मिलूँगा । जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी पटवारी श्री हेमन्त बुनकर आपसे सम्पर्क करे तो मुझे सुचित करते हुये लेकर कार्यालय मे उपस्थित होवे। आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। समय 07.30 पी.एम पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताये अनुसार दिनांक 03.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने के कारण श्रीमान दिनेश बामणिया संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डूंगरपुर के मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर गवाहान को दिनांक 03.09.2025 को कार्यालय में नही भेजने हेतु व आईन्दा जब भी स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर सुचित करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 12.092025 समय 11.40 ए.एम पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल करके बताया कि पटवारी श्री हेमन्त बुनकर मुझे मेरे घर के पास मिला था और मुझे कहा की पैसे की व्यवस्था हुई के नही तो मेने कहा की पैसे की व्यवस्था नही

हुई है। मै पैसे की व्यवस्था करके सोमवार या मंगलवार तक मिलता हु आपको। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि सोमवार या मंगलवार तक रिश्वत राशि लेकर कार्यालय मे उपस्थित होवे। आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। दिनांक 15.09.2025 समय 01.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को जरिये मोबाईल कॉल करके रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा 5000 रूपये ही रिश्वत राशि की व्यवस्था होना बताया व परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने कहा की इससे ज्यादा पैसो की व्यवस्था मै नही कर सकता। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 16.09.2025 को समय 09.30 ए.एम. पर 5000 रूपये रिश्वत राशि के कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को पाबन्द किया तथा आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। समय करीब 03.18 पी.एम पर अग्रीम ट्रैप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान सयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर दिनांक 16.09.2025 को समय 09.00 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् जरिये दुरभाष से निवेदन किया गया। दिनांक 16.09.2025 को समय 09.00 ए.एम पर पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री विपिन चंद बैरवा पिता प्रेमचन्द बैरवा जाति बैरवा उम्र 30 वर्ष निवासी छोटी दौसा, बैरवा मोहल्ला, दौसा जिला दौसा हाल पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय थाणा जिला डूंगरपुर व श्री मोहम्मद मुनीब खांन पिता मकसुद खांन जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी हाउस न. 63 वार्ड नं. 8 मोहल्ला घाटी अलीपुरा, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डूंगरपुर होना बताया। जिस पर उन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 09.30 ए.एम पर परिवादी श्री वेलजी पिता बादरजी पाटीदार उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि निवासी गामडा ब्राह्मणिया पुलिस थाना ओबरी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय आया व मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं श्री हेमन्त बुनकर पटवारी को देने के लिये रिश्वत राशि के रूप में 5,000 /- रूपये की व्यवस्था करके साथ लेकर आया हूँ । जिस पर कार्यालय मे बैठे स्वतन्त्र गवाहान को मन् पुलिस उप अधीक्षक के कक्ष मे बुलाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 27.08.2025 को परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को परिवादी, व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 27.08.2025 को परिवादी श्री वेलजी पाटीदार एवं संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय करीब 10.47 ए.एम पर संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की लोकेशन जानने के लिए मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मोबाईल नं को लाउड स्पीकर पर रखते हुए संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के मोबाईल नं पर कॉल करवाया गया लेकिन संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी ने काल नही उठाया। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड लिया गया। तत्पश्चात् समय 10.48 ए.एम पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मोबाईल नं को लाउड स्पीकर पर रखते हुए संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के मोबाईल नं पर वाट्सअप कॉल करवाया गया तो संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी ने बताया की "मै आपको निकिता होटल पर 12.30 बजे तक मिल जाउंगा"। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड लिया गया। तत्पश्चात् समय करीब 11.15 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000/- रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी श्री वेलजी पाटीदार की जामा तलाशी गवाह श्री विपिन चंद बैरवा से लिवाई गई। जिसमें परिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री अखतर खान हैड कानि. नं. 05 से मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को निकलवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोंनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पाटीदार को देने के लिए परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री अखतर खान हैड कानि. से ही परिवादी श्री वेलजी पाटीदार की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री जितेन्द्र कुमार कानि. 390 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार

किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अख्तर खान हैड कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य मे अवगत कराते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री अख्तर खान हैड कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री अख्तर खान हैड कानि. से ही मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी व संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री अख्तर खान हैड कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादी को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपूर्द कर संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी से रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् समय करीब 11.40 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पश्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 11.46 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द कानि. 394 व परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को उसकी निजी कार से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के निकीता होटल गामडा ब्राह्मणिया की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री जितेन्द्र कुमार कानि. न. 390 एवं श्री दीपक कानि. न. 87 को निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन , श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री करण सिंह एएसआई, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि. 546, श्री वीर विक्रम सिंह कानि न. 189, श्री बाबु लाल कानि. 393 व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से निकीता होटल गामडा ब्राह्मणिया की तरफ रवाना हुए। तत्पश्चात् समय 12.29 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा निकीता होटल गामडा ब्राह्मणिया के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। परिवादी वेलजी पाटीदार व कानि. महेशचन्द्र कानि. परिवादी की कार से उतर कर मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आकर परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को निकाल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को दिया जिस पर संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की लोकेशन जानने के लिए मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मोबाईल नं को लाउड स्पीकर पर रखते हुए संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के मोबाईल नं पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी ने बताया की "मै अभी घर पर हुं,

आधे घण्टे मे आपको निकिता होटल पर मिल जाउंगा। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड लिया गया। समय करीब 12.32 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर परिवादी को सुपुर्द कर निकिता होटल के लिए रवाना किया व मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में निकिता होटल के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 01.21 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री वेलजी पाटीदार को कॉल कर संदिग्ध श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के बारे मे पूछा तो परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा बताया कि श्री हेमन्त बुनकर पटवारी आने की तैयारी मे है। समय करीब 01.30 पी.एम पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक को मिस कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवाना हो परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के पास निकिता होटल में पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने अपने पास कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री हेमन्त बुनकर पटवारी हैं जिन्होने अभी थोडी देर पहले अपनी मांग के अनुसार 5000/-रूपये मेरे से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बायीं जेब मे रखे है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री हेमन्त बुनकर पुत्र श्री कुरीयाजी बुनकर उम्र 26 वर्ष जाति बुनकर निवासी गांव अम्बाडा पुलिस थाना ओबरी जिला डूंगरपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर का होना बताया। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री वेलजी पाटीदार की ओर ईशारा करते हुए आरोपी से पूछा कि आप इसको जानते हो, इसका नाम क्या है, तो आरोपी ने बताया जानता हुं, आरोपी से पूछा की आपने इनसे पैसे किस बात के लिए तो आरोपी ने बताया की इन्होने मुझसे उधार लिये थे। जिस पर पास खडा परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने बताया की इन्होने मेरी पैतृक जमीन के खाते मे मेरी बहन रमिला का नाम हटवाने के लिए 5000/- रूपये मुझसे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बायीं जेब मे रखे है। परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया की श्री हेमन्त जी पटवारी ने मुझ से 5000/- रूपये लेने के बाद अपने हाथ पानी से धो लिये है। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही के क्रम में रिश्वत राशि बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री विपिन चंद बैरवा से आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की पहनी हुई पेन्ट जिन्स बरंग काला की पीछे की बायीं जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट बरामद हुए, जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री विपिन चंद बैरवा को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत देकर सम्भलाई गई। इसके अलावा आरोपी के पास एक मोबाईल रेडमी 4जी कम्पनी का हो जिसमे एक एयरटेल कम्पनी की सिम जिसके नम्बर उक्त मोबाईल को स्वतन्त्र गवाह श्री विपिन चंद बैरवा को सम्भलाया गया। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी के दोनों हाथों का धोवन एवं पहनी हुई पेन्ट जिन्स बरंग काला की पीछे की बाई जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से प्राईवेट वाहन बोलेरो में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रैप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में निकिता होटल मे पीने के पानी की बोतल मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH1 o RH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजिरान को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH1o LH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात मौके पर आरोपी हेमन्त बुनकर ने बताया कि वेलजी भाई पाटीदार के पिताजी बादरजी की मृत्यु होने पर

इनके द्वारा विरासती नामान्तरण खोलने के लिये आवेदन किया था, जो मेरे पास है, उक्त कागजात को आरोपी हेमन्त बुनकर ने पेश किये जिसका अवलोकन किया गया तो जमाबंदी पटवार हल्का गामडा ब्राह्मणिया खाता संख्या 41, 42, 880, 366, 364, 365, 362, मृत्यु प्रमाण पत्र श्री बादर पाटीदार, आधार कार्ड वेलजी पाटीदार, रमिला पाटीदार, लिली पाटीदार, नामान्तरण बाबत् शपथ पत्र, वारिस प्रमाण पत्र व वारिसान तस्दीक नामा, विरासत नामान्तरण आवेदन उक्त तीनो फार्म खाली हो जिसके अन्दर कुछ भी लिखा हुआ नही है। उक्त रिकार्ड पर उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी वेलजी पाटीदार व आरोपी हेमन्त बुनकर के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही किये गये। तत्पश्चात मौके पर आम लोगों की भारी भीड इकट्ठा होने एवं अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान पैदा होने की स्थिति के मध्य नजर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो गवाहान, व ट्रैप पार्टी के सदस्य मय ट्रैप बाक्स, सीलचिट शिशियाँ ,प्रिन्टर, लेपटॉप, परिवादी व आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी को यथास्थिति साथ लेकर निकिता होटल से जरिये प्राईवेट वाहनों व परिवादी की निजी कार मे समय 01.45 पी.एम पर रवाना होकर समय 02.00 पी.एम पर डाक बंगला सागवाडा पंहुचे जहां पर उपस्थित श्री माधव कुमार अधीशाषी अभियन्ता को मैने अपना परिचय देकर कार्यवाही के मन्तव्य से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु एक रूम उपलब्ध करवाने हेतु लिखित रिपोर्ट दी जिस पर श्री माधव कुमार अधीशाषी अभियन्ता द्वारा डाक बंगला सागवाडा के रूम नम्बर 1 उपलब्ध करवाया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बाई जेब जहां से रिश्वत राशि 5000 रूपये बरामद की गयी थी , उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी का दुसरा लोवर मंगवा कर आरोपी की पहनी हुई उक्त पेन्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी को दुसरा लोवर पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवा कर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट की पीछे की बायीं जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धोवन के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजिरान को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P1 o P2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई । तत्पश्चात उक्त पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बायीं जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5000 रूपये जो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बायीं जेब से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए हैं जो स्वतंत्र गवाह श्री विपिन चंद बैरवा के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री विपिन चंद बैरवा द्वारा पेश किये जाने पर उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप पर डाक बंगला सागवाडा पर समय करीब 02.30 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 02.35 पी.एम पर आरोपी हेमन्त बुनकर के मकान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से खाना तलाशी के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता भीखाभाई सागवाडा नगर माही परियोजना सागवाडा जिला डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर भिजवाने बाबत् जरिये दुरभाष निवेदन किया गया। समय 02.45 पी.एम पर पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित डाक बंगला सागवाडा आये। जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री हितेश पाटीदार पिता नगजी पाटीदार उम्र 29 वर्ष निवासी चितरी पुलिस थाना चितरी जिला डूंगरपुर हाल सहायक अभियन्ता, भीखाभाई सागवाडा माही परियोजना सागवाडा जिला डंगरपुर एवं श्री सोहार्द द्विवेदी पुत्र श्री भारवी द्विवेद्वी उम्र 28 वर्ष निवासी खडगदा पुलिस थाना सागवाडा, जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, भीखाभाई सागवाडा माही परियोजना सागवाडा जिला डंगरपुर होना बताया। जिस पर उन्हे रूम में बैठाया गया। समय करीब 02.50 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) में रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशित किया गया था। जिस पर श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात इस समय सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC)

निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के रिहायशी आवास अम्बाडा में होना बताया जाने पर श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) जो पूर्व में श्री बाबु लाल कानि0 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, मय दोनों गवाहान श्री हितेश पाटीदार, श्री सोहार्द द्विवेदी, श्री करण सिंह एएसआई, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री बाबु लाल कानि. मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपट्रोप मय आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के रिहायशी आवास अम्बाडा की खाना तलाशी हेतु रवाना किया गया। समय 02.52 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन परिवादी श्री वेलजी पाटीदार एवं आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 27.09.2025 को समय 02.43 पी.एम पर आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी एवं परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को जो कि परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मोबाईल को लाउडस्पीकर कर कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की होने की पुष्टि की तथा आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी ने भी उपरोक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 03.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन , परिवादी श्री वेलजी पाटीदार एवं आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 27.09.2025 को समय 02.49 पी.एम पर आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी एवं परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मध्य निकिता होटल पर हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की होने की पुष्टि की तथा आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी ने भी उपरोक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 04.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन परिवादी श्री वेलजी पाटीदार एवं आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 16.09.2025 को समय 10.46 ए.एम पर आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी एवं परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मध्य हुई मोबाईल वाट्सअप वार्ता जो कि परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मोबाईल को लाउडस्पीकर कर कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेश चन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की होने की पुष्टि की तथा आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी ने भी उपरोक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 04.25 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन, परिवादी श्री वेलजी पाटीदार एवं आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 16.09.2025 को समय 12.28 पी.एम पर आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी एवं परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जो कि परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मोबाईल को

लाउडस्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की होने की पुष्टि की तथा आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी ने भी उपरोक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 04.35 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन , परिवादी श्री वेलजी पाटीदार एवं आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 16.09.2025 को समय 12.32 पी.एम पर आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी एवं परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मध्य निकिता होटल पर हुई रूबरू रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी श्री वेलजी पाटीदार द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्युरो कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की होने की पुष्टि की तथा आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी ने भी उपरोक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 06.00 पी.एम पर आरोपी श्री हेमन्त बुनकर को श्री धिरेन्द्र सिंह कानि., श्री वीर विक्रम सिंह कानि., श्री महेशचन्द्र कानि. एवं श्री दीपक कानि. के निगरानी मे सुरक्षित रखकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय् परिवादी श्री वेलजी पाटीदार, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन, श्री जितेन्द्र कुमार कानि मय आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु निकिता होटल गामडा ब्राह्मणिया मोड के पास के लिए रवाना हुआ। समय करीब 06.50 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय् परिवादी श्री वेलजी पाटीदार, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन , श्री जितेन्द्र कुमार कानि मय आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु रवानाशुदा निकिता होटल गामडा ब्राह्मणिया मोड के पास पंहुचकर नियमानुसार परिवादी श्री वेलजी पाटीदार की निशादेही मे घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर प्राईवेट वाहन से रवाना हो हाजिर डाक बंगला सागवाडा आये। समय करीब 07.00 पी.एम पर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, मय दोनों गवाहान श्री हितेश पाटीदार, श्री सोहार्द द्विवेदी, श्री करण सिंह एएसआई, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री बाबु लाल कानि. मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपटॉप मय आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के रिहायशी आवास अम्बाडा की खाना तलाशी हेतु रवानाशुदा आरोपी के रिहायशी आवास अम्बाडा पंहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर प्राईवेट वाहन से रवाना हो हाजिर डाक बंगला सागवाडा आये श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक ने उक्त फर्द खाना तलाशी मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा आरोपी के रिहायशी आवास अम्बाडा की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री हितेश पाटीदार व श्री सोहार्द द्विवेदी को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय 07.30 पी.एम पर आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पुत्र श्री कुरीयाजी बुनकर उम्र 26 वर्ष जाति बुनकर निवासी गांव अम्बाडा पुलिस थाना ओबरी जिला डूंगरपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 ¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री कुरीयाजी बुनकर जो डाक बंगला सागवाडा पर उपस्थित थे को नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात समय 09.00 पी.एम पर परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मौजा गामडा ब्राह्मणिया के खसरा संख्या 2760 की जमाबंदी की नकल, मौजा गामडा ब्राह्मणिया के नामान्तरण संख्या 2544 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार सागवाडा को

जरिये पत्र क्रमांक-एसपीएल-02 दिनांक 16.09.2025 मे पत्राचार किया गया। जिस पर इस समय तहसील कार्यालय सागवाडा मे पदस्थापित श्री दिनकर पाटीदार, ऑफिस कानुनगो उपस्थित आया व परिवादी श्री वेलजी पाटीदार के मौजा गामडा ब्राह्मणिया के खसरा संख्या 2760 की जमाबंदी की नकल की प्रमाणित प्रति जिस पर उनके हस्ताक्षर व मौजा गामडा ब्राह्मणिया के नामान्तरण संख्या 2544 दिनांक 15.08.2025 की प्रमाणित प्रति एवं सेवा विवरण पर तहसीलदार सागवाडा की सील से तहसीलदार श्री रमेशचन्द्र वडेरा द्वारा हस्ताक्षरशुदा प्रमाणित प्रतिया पेश की गई। जिसका अवलोकन किया गया तो जमाबंदी पटवार हल्का गामडा ब्राह्मणिया की हो खाता संख्या 362 जिसमें काश्तकार कुबेर पिता धुला, नाथु पिता धुला, रमिला पुत्री बादर, लिली पत्नि स्व. बादर, वेलजी पुत्र बादर, वगैरा के मखातेदारो के नाम एवं खसरा नम्बर 2760, 3187, 3188, 4329/3768 लिखे हुये हो परिवादी खसरा नम्बर 2760 जिसमें मखातेदार अपनी बहन रमिला पुत्री बादर को हक त्याग करा अपने खाते से रमिला का नाम हटवा कर नामांतरण खुलवाने के लिए आरोपी पटवारी हेमन्त बुनकर से सम्पर्क किया, जिस पर आरोपी पटवारी हेमन्त बुनकर द्वारा परिवादी बहीन रमिला का नाम खसरा नम्बर 2760 मे हटाने एवं नामांतरण खुलवाने की एवंज मे 10000/- रूपये की मांग की गई थी। उक्त रिकॉर्ड बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 09.10 पी.एम पर जरिये दुरभाष पाबन्दशुदा श्री मुकेश कुमार परमार पिता श्री लक्ष्मण लाल परमार जाति परमार उम्र 40 वर्ष निवासी लिमडी पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल भु.अ.निरीक्षक वृत खडगदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर हाजिर डाक बंगला सागवाडा आया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन व आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की परिवादी श्री वेलजी पाटीदार से दिनांक 27.08.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 16.08.2025 को परिवादी श्री वेलजी पाटीदार की आरोपी श्री हेमन्त बुनकर के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान हुई वार्ताओं, जिनकी मूल मेमोरी कार्ड जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में हैं उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री महेशचन्द्र से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर श्री मुकेश परमार भु.अ. निरीक्षक वृत खडगदा को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्री मुकेश परमार भु.अ. निरीक्षक वृत खडगदा तहसील सागवाडा ने एक आवाज श्री हेमन्त बुनकर पटवारी पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर की होना बताया। श्री मुकेश परमार ने बताया कि मैं भु.अ. निरीक्षक वृत खडगदा के पद पर पदस्थापित हुं। श्री हेमन्त बुनकर पटवारी की आवाज को मै पहचानता हूँ तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक मे मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात श्री मुकेश परमार भु.अ. निरीक्षक वृत खडगदा को रूखसत किया गया। समय करीब 11.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन व आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री हेमन्त बुनकर हाल पटवारी, पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में दिनांक 27.08.2025 को परिवादी वेलजी पाटीदार एवं आरोपी श्री हेमन्त बुनकर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, दिनांक 16.09.2025 को हुई वाट्सएप मोबाईल वार्ता व जरिये मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकॉर्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी लेपटॉप मे कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवा कर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड बरंग Sandisk Micro SD HC4 GB मेमोरीकार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक मे मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 11.05. पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन व आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री हेमन्त बुनकर हाल पटवारी, पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में दिनांक 27.08.2025 को परिवादी वेलजी पाटीदार एवं आरोपी श्री हेमन्त बुनकर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, दिनांक 16.09.2025 को हुई वाट्सएप मोबाईल वार्ता व जरिये मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ताऐंजो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी लेपटॉप में कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा तीसरी पेनड्राईव पर आरोपी लिखा गया। मूल पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क PD अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। डब पेनड्राईव व आरोपी पेनड्राईव को अनशिल्ड रखा जाकर खाकी लिफाफो में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक मे मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 11.15 पी.एम पर आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवश्यक होने से श्री

राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता श्री वीर विक्रमसिंह कानि., श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय प्राईवेट वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु मेडिकल जुरिस्ट श्री दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाडा के नाम मय तेहरीर के रवाना किया गया। समय करीब 11.34 पी.एम पर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता श्री वीर विक्रमसिंह कानि., श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय प्राईवेट वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण श्री दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाडा से करवा परीक्षण रिपोर्ट के साथ उपस्थित डाक बंगला सागवाडा आये और परीक्षण रिपोर्ट मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 11.35 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन व आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री हेमन्त बुनकर हाल पटवारी, पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में ट्रेप कार्यवाही के दौरान् आरोपी से रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई के श्री बाबुलाल कानि. 393 के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-1 अंकित किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 11.38 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन व आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री हेमन्त बुनकर हाल पटवारी, पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में आरोपी से रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी लेपटॉप से श्री बाबुलाल कानि. 393 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 16GB की तैयार की गयी। एक पर डब पेनड्राईव, दूसरी पर आरोपी पेनड्राईव लिखा गया। डब पेनड्राईव व आरोपी पेनड्राईव को अनशिल्ड रखा जाकर खाकी लिफाफो में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 11.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन व आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री हेमन्त बुनकर हाल पटवारी, पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में रिहायशी आवास गाँव अम्बाडा पुलिस थाना ओबरी जिला डूंगरपुर में स्थित आवास की खाना तलाशी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-2 अंकित किया उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 11.50 पी.एम मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विपिन चंद बैरवा, श्री मोहम्मद मुनीब खांन व आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री हेमन्त बुनकर हाल पटवारी, पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में रिहायशी आवास गाँव अम्बाडा पुलिस थाना ओबरी जिला डूंगरपुर में स्थित आवास की खानातलाशी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी लेपटॉप से कनेक्ट करा विडियोग्राफी केएक डब पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 16GB की तैयार की गयी। पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक खाकी लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि परिवादी श्री वेलजी पाटीदार ने उपस्थित चोकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की "सादर निवेदन है कि मै प्रार्थी वेलजी पिता बादरजी पाटीदार उम्र 50 वर्ष पेशा काश्त निवासी गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा थाना ओबरी जिला डूंगरपुर का रहने वाला हुं मेरे गांव गामडा ब्राह्मणिया मे मेरी पैतृक जमीन खसरा न. 2760 पटवार हल्का गामडा ब्राह्मणिया मे स्थित है उक्त जमीन मे मेरी बहन रमिला का राजस्व रिकोर्ड मे संयुक्त नाम है। मेरी बहन रमिला का संयुक्त रिकोर्ड से नाम निकाल कर मेरे व मेरी माँ लिली के नाम नामान्तरण खोलने हेतु कई बार मे श्री हेमन्त बुनकर पटवारी साहब से मिला लेकिन मेरा काम नही हुआ। करीब पन्द्रह दिन पहले मै श्री हेमन्त जी पटवारी साहब से पटवार भवन में जाकर मिला और मेरे काम के बारे मे जिक्र किया तो श्री हेमन्त पटवारी साहब ने बताया की आपके बहन के हक त्यागकर आपके नाम नामान्तरण खोलने के बदले में 10000 रूपये में लुंगा जब पैसे हो तब लेकर आ जाना आपका काम मैं कर दुंगा। आज दिनांक 27.08.2025 को सुबह 11.26 बजे मेरे मोबाईल नम्बर पर श्री हेमन्त जी पटवारी के मोबाईल नम्बर से फोन आया और मुझे कहा की मै यही विजवा माता मन्दिर के पास ही हुं आप मेरे सामने से निकले हे और

आप मे जो बात हुई है वो कर दो आपका काम हो जायेगा, तो मेने कहा डूंगरपुर जाकर वापिस आकर करता हुं इस प्रकार श्री हेमन्त जी पटवारी से मुझ से 10,000/- हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है परिवादी की रिपोर्ट एवं जरिये दरियाफ्त मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार मांग सत्यापन कराया गया तो दौराने मांग सत्यापन आरोपी द्वारा परिवादी से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। जिस पर दिनांक 16.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पटवारी द्वारा परिवादी श्री वेलजी पाटीदार से 5,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया हैं, जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्री हेमन्त बुनकर पुत्र श्री कुरीया जी बुनकर जाति बुनकर उम्र 26 वर्ष निवासी गांव अम्बाडा पुलिस थाना ओबरी जिला डूंगरपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं। भवदीय, (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हेमन्त बुनकर पुत्र श्री कुरीयाजी बुनकर जाति बुनकर उम्र 26 वर्ष निवासी गांव अम्बाडा पुलिस थाना ओबरी जिला डूंगरपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल गामडा ब्राह्मणिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, प्रतापगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 334 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1390-93 दिनांक 18-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3- जिला कलक्टर, डूंगरपुर।,4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर । पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIKRAM SINGH PARMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]/2025 1[illegible]6

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/04/1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)